सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 06/2017 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2017/00015

अनवान

1. श्री पन्नालाल पिता हुक्का भील, निवासी पीपलबांरा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री नाथुलाल पिता वाला पूर्बिया, निवासी कलालवाटी, ओगणा, तहसील झाडोल (फ.), जिला उदयपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार झाडोल (फ.), जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री सुशील कोठारी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री मोहनलाल जोशी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 30-09-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ग्राम पीपलबांरा, तहसील झाडोल का मूल निवासी होकर उसका जीवन यापन कृषि पर ही निर्भर है। ग्राम पीपलबांरा में ही प्रार्थी स्वयं की पैतृक खातेदारी भूमि स्थित है, जिससे सटी हुयी खसरा संख्या 176 की बिलानाम भूमि एवं उसक पश्चात् मुख्य डामर रोड झाडोल से ओगणा जाने वाली स्थित है। विपक्षी संख्या 1 ग्राम ओगणा का मूल निवासी होकर किराणे की दुकान चलाता है। इसके अतिरिक्त विपक्षी संख्या 1 के पास स्वयं की खातेदारी सिंचित भूमि 1.7000 हेक्टेयर स्थित है, जिस पर वह सिजारे से कृषि करवाता है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि एवं मुख्य सडक के बीच स्थित आराजी संख्या 176 में से 0.1600 हेक्टेयर भूमि जो 50 वर्षो से प्रार्थी व उसके पूर्वाधिकारीयों के कब्जे काश्त में चली आ रही है एवं भू–पट्टी के रूप में है, का आवंटन बगेर प्रार्थी की जानकारी के दिनांक 28.10.2006 को विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया गया। उक्त भूमि नियम 4(एफ) के तहत आवंटन योग्य नही है एवं उक्त भूमि का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नही है। विपक्षी संख्या 1 ने कभी उक्त भूमि पर काश्त नही की है एवं न ही कभी काश्त योग्य बनाया। आवंटी आवंटन की योग्यता नही रखता है। इसके बावजूद विपक्षी संख्या 1 को भूमि का आवंटन किया गया है। विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि विपरित होने से निरस्त

किये जाने योग्य है। अतः विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन का निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। जवाब हेतु विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर दिये जाने क बावजूद जवाब प्रस्तुत न करने से जवाब बन्द किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार झाडोल, जिला उदयपुर से विवादित आराजीयात पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार झाडोल द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2018/305 दिनांक 22.01.2018 से प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया कि मौजा पीपलबांरा की साबिक आराजी संख्या 176 रकबा 0.1600 हेक्टेयर भूमि जिसके हाल आराजी संख्या 490/176 होकर उक्त भूमि श्री गोरव पिता घनश्याम पूर्बिया के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। उक्त आराजी में से 0.1000 हेक्टेयर पर विपक्षी संख्या 1 श्री पन्नालाल पिता हुक्का मीणा का कब्जा है एवं शेष 0.0600 हेक्टेयर भूमि पर गोरव पिता घनश्याम पूर्बिया का कब्जा है। उक्त आराजी के दक्षिण दिशा में सटा हुआ आराजी सख्या 520/344 रकबा 0.1200 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी श्री पन्नालाल पिता हुक्का के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले में उपखण्ड अधिकारी झाडोल से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 651/2006 तलब की जाकर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए। बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवंटन मिसरिप्रजेन्टेशन से कराना, आवंटन नियमों की पालना न होना, प्रार्थी का पुराना कब्जा होना, भूमि स्ट्रीप ऑफ लेण्ड होना, उद्घोषणा न होना, विपक्षी का अन्य गांव का निवासी होकर भूमिहीन न होना, व्यवसायी होना आदि आधारों पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन गलत तथ्यों पर आधारित होना बताया एवं निरस्त करने की मांग की। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, विपक्षी संख्या 1 का पुराना कब्जा होना, खातेदारी प्राप्त होना, मौके पर तहसीलदार द्वारा बनाई गयी मौका रिपोर्ट में विपक्षी का बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहना, वर्तमान खातेदार को पक्षकार न बनाया जाना आदि आधारों आवंटन में कोई मिसरिप्रजेन्टेशन न होना अवगत कराया। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि मात्र कब्जे के आधार पर प्रार्थी के अधिकार विवादित आराजीयात पर तय नही किये जा सकते है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को विवादित आराजीयात पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही मेन्टेनएबल नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज किये जाने योग्य होने से निरस्त किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, आवंटन पत्रावली आदि का अवलोकन किया एवं

वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 श्री नाथुलाल पिता वाला पूर्बिया द्वारा मौजा पीपलबांरा, तहसील झाड़ोल की साबिक आराजी संख्या 176 रकबा 0.1600 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच उपरान्त उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को किया गया है। आवंटन पत्रावली में कोरम पर तहसीलदार, सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर भी मौजूद है। आवंटन के उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है। आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी की रिपोर्ट में प्रस्तावित भूमि की उद्घोषणा जारी होने का स्पष्ट उल्लेख किया है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होना अवश्य बताया है, किन्तु उसके द्वारा इसकी पुष्टि स्वरूप कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। यदि विवादित आराजीयात पर प्रार्थी का पुराना कब्जा होता तो उनके पास अन्तर्गत धारा 91, भू–राजस्व अधिनियम 1956 के नोटिस मौजूद होते। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता ऐसा कोई दस्तावेज पेश करने में असफल रहे है। ऐसा कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नही है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त आवंटन में किसी प्रकार का मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो। इसके अतिरिक्त विपक्षी संख्या 1 द्वारा पूरा खाता गौरव पिता घनश्याम पूर्बिया को दान विलेख द्वारा दान कर दिया है, जिसका नामान्तकरण संख्या 186 दिनांक 05.11.2015 खोला गया। चूकिं वर्तमान में भूमि राजस्व रेकर्ड में गौरव पिता घनश्याम पूर्बिया के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में गौरव पिता घनश्याम पूर्बिया का हित प्रकरण में निहित होने से आवश्यक पक्षकार है, किन्तु प्रार्थी द्वारा श्री गौरव पिता घनश्याम पूर्बिया को पक्षकार नही बनाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवंटन प्रथम दृष्टया खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) अस्वीकार कर खारीज किया जाता है एवं मौजा पीपलबांरा, तहसील झाड़ोल की साबिक आराजी संख्या 176 रकबा 0.1600 हेक्टेयर भूमि पर उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जरिये मिसल संख्या 651/2006 से दिनांक 28.10.2006 को किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर